न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 35/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

शाहबाज चिकन शॉप, शोरग्रान मोहल्ला, बडी हताई, अजमेर जरिये शाहबाज पुत्र श्री मोईनुदीन , निवासी–शीशा खान गली नं0 6, अजमेर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः 1.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

2. मौहम्मद रईस खान – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 10.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल चिकन शॉप की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल चिकन शॉप पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से दो घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	390195	IOC	15.9	29.100	13.2	Domestic
2.	607151	IOC	15.5	15.5	Nil	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः दो घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कुक एण्ड कुक गैस सर्विस के कार्मिक श्री शाकिर पुत्र शेर मोहम्मद, निवासी गली नं0 06 शीशा खान, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी उक्त दुकान का मालिक नहीं है। जप्त सिलेण्डर में से एक सिलेण्डर दुकान मालिक श्रीमती सैयदा रफिका मुत्तालिब पत्नी श्री सैयद अब्दुल मुत्तालिब का तथा दूसरा उनके पुत्र सैयद अबु तालिब चिश्ती का था। यह सिलेण्डर डिलेवरी बॉय के आने पर उसको देकर भरे हुए सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु रखे गये थे। अप्रार्थी द्वारा अपनी शॉप में व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग किया जाता है घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नही किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner